

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ ।

पटना, दिनांक :-

30.3.15

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष -0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी 2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2885 दिनांक- 26.09.2014 के आलोक में चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष- 2014-15 में 31 मार्च 2015 तक व्यय के निमित्त " बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	पूर्णियाँ	05	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	500000/-	श्रम अधीक्षक पूर्णियाँ का पत्रांक- 312 दिनांक 23.3.15 के आलोक में (1) स्व. बॉके राय, उर्फ बंकी मंडल, आश्रित श्रीमती कारी देवी (पुत्रबधु), सुश्री बेबी कुमारी (पुत्री), नीतू कुमारी(पौत्री) एवं मनीषा कुमारी (पौत्री) ग्राम- पोखरिया टोल, पंचायत-गणेशपुर, थाना+प्रखंड-के. नगर जिला-पूर्णियाँ (2) स्व. शिमला देवी, आश्रित श्रीमती कारी देवी (पुत्रबधु), सुश्री बेबी कुमारी (पुत्री), नीतू कुमारी(पौत्री) एवं मनीषा कुमारी (पौत्री) ग्राम-पोखरिया टोल, पंचायत- गणेशपुर, थाना+प्रखंड- के. नगर जिला-पूर्णियाँ (3) स्व. ललिता देवी वैद्य आश्रित श्री श्रीमती मीना देवी एवं श्री पंचू मंडल(माता-पिता) ग्राम- पोखरिया टोल, पंचायत-गणेशपुर, थाना+प्रखंड-के. नगर जिला-पूर्णियाँ (4) स्व. कुंदन मंडल आश्रित श्रीमती कारी देवी (पत्नी), नीतू कुमारी एवं मनीषा कुमारी (पुत्री) ग्राम- पोखरिया टोल, पंचायत -गणेशपुर, थाना+प्रखंड-के. नगर जिला- पूर्णियाँ (5) स्व. नन्दू मंडल, आश्रित सुश्री बेबी कुमारी (बहन), ग्राम-पोखरिया टोल, पंचायत -गणेशपुर, थाना+प्रखंड- के. नगर जिला-पूर्णियाँ के भुगतान हेतु।
	कुल	05		500000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 5,00,000/- (रूपये पाँच लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-253/वि०(2) दिनांक-11.3.14, पत्रांक-687/वि० दिनांक-24.07.14, एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
4. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
5. यह आवंटन योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार चौधरी)

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/2014 श्र०सं०-

113

पटना, दिनांक

30.3.15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार चौधरी)

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/2014 श्र०सं०-

113

पटना, दिनांक-

30.3.15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/ जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/ उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ/ श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ /आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-57(श्रमपक्ष) दिनांक-27.03.15 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा

(अजय कुमार चौधरी)

श्रमायुक्त, बिहार